Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology

(Formerly- Kumaon Engineering College)
Dwarahat-263653, Distt.-Almora (Uttarakhand)
(An Institute of Uttarakhand Government)
05966-244250 (o)
website: kecua.ac.in

BTKIT/509/2026 DATED: 23/09/2026

सूचना

All students are hereby informed that they should not move outside the college campus after **8:30 PM** in Dwarahat market or nearby areas.

The local police authorities have raised concerns regarding students roaming outside the campus during late-night hours. If any student is found wandering outside the campus after 8:30 PM, the local police may take appropriate action as per the rules.

Therefore, all students are directed to remain within the campus premises after 8:30 PM. In case any student is found violating these instructions, disciplinary action may be initiated by both the local police authorities and the college administration.

Students are advised to follow these instructions strictly. Any consequences arising from non-compliance shall be the sole responsibility of the concerned student.

सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे रात्रि 8:30 बजे के बाद द्वाराहाट बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों में महाविद्यालय/छात्रावास परिसर के बाहर अनावश्यक रूप से न घूमें।

स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा इस संबंध में आपत्ति व्यक्त की गई है तथा निर्देश दिए गए हैं कि रात्रि के समय विद्यार्थियों का परिसर के बाहर घूमना उचित नहीं है। यदि कोई विद्यार्थी रात्रि 8:30 बजे के बाद परिसर के बाहर घूमते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

साथ ही, सभी छात्र-छात्राओं को अवगत कराया जाता है कि छात्रावास (Hostel) का मुख्य द्वार प्रतिदिन रात्रि 9:00 बजे बंद कर दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी विद्यार्थी को छात्रावास में प्रवेश अथवा बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय विशेष परिस्थितियों में संबंधित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के।

Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology
(Formerly- Kumaon Engineering College)
Dwarahat-263653, Distt.-Almora (Uttarakhand)
(An Institute of Uttarakhand Government)
05966-244250 (o)
website: kecua.ac.in

अतः सभी विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित समय का पालन करें। यदि कोई विद्यार्थी इन निर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं महाविद्यालय प्रशासन द्वारा आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

इस संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की समस्या अथवा कार्यवाही के लिए संबंधित विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

प्रॉक्टर — निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अधिष्ठाता छात्र कल्याण (DSW), बी.टी.के.आई.टी., द्वाराहाट।
2. मुख्य वार्डन, छात्रावास।
3. सभी वार्डन, छात्रावास।
4. सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा प्रभारी, बी.टी.के.आई.टी., द्वाराहाट, इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित समयानुसार प्रतिदिन रात्रि 9:00 बजे छात्रावास का मुख्य द्वार बंद किया जाना सुनिश्चित करें। यदि कोई छात्र/छात्रा निर्धारित समय के पश्चात छात्रावास में प्रवेश करता/करती है, तो उसकी पूर्ण जानकारी (नाम, कक्षा, छात्रावास, आगमन समय एवं विलम्ब का कारण) आगंतुक पंजिका/रजिस्टर में दर्ज की जाए। उक्त प्रविष्टि का सत्यापन एवं प्रतिहस्ताक्षर (Countersign) संबंधित वार्डन द्वारा अगले कार्य दिवस में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
5. थाना प्रभारी, द्वाराहाट।
6. सभी विभागाध्यक्ष।
7. संस्थान की वेबसाइट/नोटिस बोर्ड हेतु।
8. कार्यालय प्रति।